



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 113-2017/Ext.]CHANDIGARH, FRIDAY, JUNE 30, 2017 (ASADHA 8, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 जून, 2017

संख्या 37/एसटी-2 -- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, इसके द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, राज्य के भीतर ऐसे माल की पूर्ति को, जिसका वर्णन इस अधिसूचना से संलग्न सुसंगत सूची के साथ पठित नीचे सारणी के खाना (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उक्त सारणी के खाना (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आती है, पूर्वोक्त सारणी के खाना (5) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट इस अधिसूचना से अनुबद्ध सुसंगत शर्तों के अधीन रहते हुए, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने राज्य कर से, जो उक्त सारणी के खाना (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित राशी से अधिक है, छूट प्रदान करते हैं।

सारणी

क्रम संख्या	अध्याय/शीर्ष/ उप शीर्ष/टैरिफ मद	माल का वर्णन	दर	शर्त संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कोई अध्याय	निम्नलिखित के संबंध में अपेक्षित इस सारणी से उपाबद्ध सूची में विनिर्दिष्ट माल : (1) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस निगम या ऑयल इंडिया लिमिटेड को नामांकन के आधार पर मंजूर की गई पेट्रोलियम खोज अनुज्ञप्तियों या खनन पट्टों के अधीन प्रारंभ किए गए पेट्रोलियम संबंधी प्रचालन, या	2.5%	1

		(2) विनिर्दिष्ट संविदाओं के अधीन प्रारंभ किए गए पेट्रोलियम संबंधी प्रचालन, या (3) नई खोज अनुज्ञापन नीति के अधीन विनिर्दिष्ट संविदाओं के अधीन प्रारंभ किए गए पेट्रोलियम संबंधी प्रचालन, या (4) सीमांत फील्ड नीति (एमएफपी) के अधीन विनिर्दिष्ट संविदाओं के अधीन प्रारंभ किए गए पेट्रोलियम संबंधी प्रचालन, या (5) कोयला संस्तर मिथेन नीति के अधीन प्रारंभ किए गए कोयला संस्तर संबंधी प्रचालन ।		
--	--	--	--	--

उपाबंध

शर्त सं.	शर्त
1.	यदि,-- (क) माल की पूर्ति निम्नलिखित को की जाती है :-- (i) तेल और प्राकृतिक गैस निगम या आयल इंडिया लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् “अनुज्ञप्तिधारी” कहा गया है) या अनुज्ञप्तिधारी का उप संविदाकार और नामांकन के आधार पर भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई, यथास्थिति, पेट्रोल खोज अनुज्ञप्तियों या खनन पट्टों के अधीन आरंभ की जाने वाली पेट्रोल संक्रियाओं के संबंध में प्रत्येक मामले में ; या (ii) किसी भारतीय कंपनी या कंपनियों, विदेशी कंपनी या कंपनियों या भारतीय कंपनी या कंपनियों और विदेशी कंपनी या कंपनियों के संघ (जिसे इसमें इसके पश्चात् “संविदाकार” कहा गया है) या संविदाकार का उप संविदाकार और भारत सरकार के साथ संविदा के अधीन की जाने वाली पेट्रोल संक्रियाओं के संबंध में प्रत्येक मामले में ; या (iii) किसी भारतीय कंपनी या कंपनियों, विदेशी कंपनी या कंपनियों या भारतीय कंपनी या कंपनियों और विदेशी कंपनी या कंपनियों के संघ (जिसे इसमें इसके पश्चात् “संविदाकार” कहा गया है) या ऐसी कंपनी या कंपनियों या ऐसे संघ का उप संविदाकार, यथास्थिति, 1 अप्रैल, 1988 को या उसके पश्चात् नई खोज अनुज्ञापन नीति के अधीन या 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् कोयला संस्तर मिथेन नीति के निबंधनानुसार या 14 अक्टूबर, 2015 को या उसके पश्चात् सीमांत क्षेत्र नीति के निबंधनानुसार भारत सरकार के साथ हस्ताक्षर की गई संविदा के अधीन आरंभ की जाने वाली, यथास्थिति, पेट्रोल संक्रियाओं या कोयला संस्तर मिथेन संबंधी प्रचालनों के प्रत्येक मामले में ; (ख) जहां माल की बाहरी पूर्ति का प्राप्तिकर्ता,-- (i) एक अनुज्ञप्तिधारी है, वह, माल की बाहरी पूर्ति के समय, यथास्थिति, केंद्रीय कर उपायुक्त या केंद्रीय कर सहायक आयुक्त या राज्य कर उपायुक्त या राज्य कर सहायक आयुक्त को, जिनकी माल के पूर्तिकर्ता पर अधिकारिता है, निम्नलिखित प्रस्तुत करता है, अर्थात् भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हाइड्रो कार्बन महानिदेशालय के सम्यक्तः प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र कि माल, खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट पेट्रोल संक्रियाओं के लिए अपेक्षित है; (ii) एक संविदाकार है, वह, माल की बाहरी पूर्ति के समय, यथास्थिति, केंद्रीय कर उपायुक्त या केंद्रीय कर सहायक आयुक्त या राज्य कर उपायुक्त या राज्य कर सहायक आयुक्त को, जिनकी माल के पूर्तिकर्ता पर अधिकारिता है, निम्नलिखित प्रस्तुत करता है, अर्थात् भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हाइड्रो कार्बन महानिदेशालय के

	सम्यक्तः प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र कि माल, निम्नलिखित के लिए अपेक्षित है :-- (क) उस खंड में निर्दिष्ट संविदा के अधीन खंड (क) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट पेट्रोल संक्रियाएं, या (ख) यथास्थिति, नई खोज अनुज्ञापन नीति या कोयला संस्तर मिथेन नीति या सीमांत क्षेत्र नीति के अधीन हस्ताक्षर की गई संविदा के अधीन खंड (क) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, पेट्रोलियम संबंधी प्रचालन या कोयला संस्तर मिथेन संबंधी प्रचालनों ; (ग) जहां माल की बाहरी पूर्ति का प्राप्तिकर्ता, कोई उप संविदाकार है, वहां वह माल की बाहरी पूर्ति के समय, यथास्थिति, केंद्रीय कर उपायुक्त या केंद्रीय कर सहायक आयुक्त या राज्य कर उपायुक्त या राज्य कर सहायक आयुक्त को, जिनकी माल के पूर्तिकर्ता पर अधिकारिता है, निम्नलिखित प्रस्तुत करता है,-- (i) भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हाइड्रो कार्बन महानिदेशालय के सम्यक्तः प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र कि माल, निम्नलिखित के लिए अपेक्षित है :-- (क) उस उपखंड में निर्दिष्ट, यथास्थिति, अनुज्ञप्तियों या खनन पट्टों के अधीन, खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट पेट्रोल संक्रियाएं, और जिसमें ऐसे उप संविदाकार का नाम अंतर्विष्ट हो, या (ख) उस उपखंड में निर्दिष्ट, यथास्थिति, संविदा के अधीन, खंड (क) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट पेट्रोल संक्रियाएं, और जिसमें ऐसे उप संविदाकार का नाम अंतर्विष्ट हो, या (ग) यथास्थिति, नई खोज अनुज्ञापन नीति या कोयला संस्तर मिथेन नीति या सीमांत क्षेत्र नीति के अधीन हस्ताक्षर की गई संविदा के अधीन खंड (क) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, पेट्रोलियम संबंधी प्रचालन या कोयला संस्तर मिथेन संबंधी प्रचालनों और जिसमें ऐसे उप संविदाकार का नाम अंतर्विष्ट हो ; (ii) इस आशय का शपथपत्र कि ऐसा उप संविदाकार, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार या संविदाकार का वास्तविक उप संविदाकार है ; (iii) यथास्थिति, ऐसे अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार या संविदाकार से ऐसे किसी कर, जुर्माना या शास्ति, जो संदेय हो सके, का संदाय करने के लिए उसे आबद्ध करने का वचन, यदि इस प्रविष्टि की किसी शर्त का, यथास्थिति, ऐसे उप संविदाकार या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार या संविदाकार द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता है । (घ) जहां किसी अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारी के किसी उप संविदाकार या संविदाकार या संविदाकार के किसी उप संविदाकार को इस प्रकार पूर्ति किया गया माल, अनुज्ञप्तिधारी के किसी अन्य संविदाकार या किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी या ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के उप संविदाकार या संविदाकार के किसी अन्य उप संविदाकार या किसी अन्य संविदाकार या ऐसे संविदाकार के उप संविदाकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् “अंतरिती” कहा गया है) को अंतरित किए जाने की वांछा की जाती है, वहां ऐसा अंतरिती ऐसे अंतरण के समय, यथास्थिति, उपायुक्त केंद्रीय कर या सहायक आयुक्त केंद्रीय कर या उपायुक्त राज्य कर या सहायक आयुक्त राज्य कर को, जिनकी अधिकारिता में ऐसा अंतरिती है, निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :-- (i) भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में हाइड्रो कार्बन महानिदेशालय के सम्यक्तः प्राधिकृत अधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र कि उक्त माल, अंतरिती के नाम में अंतरित किया जाए और उक्त माल निम्नलिखित आरंभ की जाने वाली पेट्रोल संक्रियाओं के लिए अपेक्षित है :--
--	---

	(A) खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट पेट्रोल खोज या खनन पट्टे ; या (B) खंड (क) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट संविदा के अधीन आरंभ की जाने वाली पेट्रोलियम संबंधी प्रचालन ; या (C) खंड (क) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट संविदा के अधीन आरंभ की जाने वाली, यथास्थिति, पेट्रोलियम संबंधी प्रचालन या कोयला संस्तर मिथेन संबंधी प्रचालन । (ii) अंतरिती से इस प्रविष्टि की सभी शर्तों का अनुपालन करने के लिए वचन, जिसके अंतर्गत यह भी है कि वह ऐसे किसी कर, जुर्माना या शास्ति, जो संदेय हो सके, का वहां संदाय करेगा यदि इस प्रविष्टि की शर्त का उसके द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता है, जहां वह अनुज्ञप्तिधारी/ संविदाकार है, या अंतरिती के अनुज्ञप्तिधारी/संविदाकार द्वारा, वहां ऐसा अंतरिती एक उप संविदाकार है । (iii) कोई प्रमाणपत्र,-- (A) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशन के आधार पर जारी की गई कोई पेट्रोलियम खोज अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे की दशा में इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेधारी की ओर से अंतरिती द्वारा किए गए ऐसे मालों के अंतरण के लिए कोई विदेशी मुद्रा विप्रेषण नहीं किया गया है, (B) भारत सरकार और किसी विदेशी कंपनी या कंपनियों के बीच या भारत सरकार और किसी भारतीय कंपनी या कंपनियों और किसी विदेशी कंपनी या कंपनियों के किसी संघ के बीच हुई संविदा की दशा में इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि, यथास्थिति, ऐसी विदेशी कंपनी या कंपनियों की ओर से अंतरिती द्वारा किए गए ऐसे मालों के अंतरण के लिए कोई विदेशी मुद्रा विप्रेषण नहीं किया गया है : परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात उस समय लागू नहीं होगी जब ऐसा अंतरिती कोई भारतीय कंपनी या कंपनियां हैं । (ड) जहां इस प्रकार पूर्ति किए गए माल का निस्तारण किया जाना है, यथास्थिति, माल की बाहरी पूर्ति का प्राप्तिकर्ता या अन्तरिती, कर जो संदेय किया जा सकेगा लेकिन यहां अन्तर्विष्ट छूट के लिए ऐसे माल के हास मूल्य पर इस शर्त के अध्यधीन कि आयातकर्ता या अन्तरिती, यथास्थिति, उपायुक्त केंद्रीय कर या सहायक आयुक्त केंद्रीय कर या उपायुक्त राज्य कर या सहायक आयुक्त राज्य कर को, यथास्थिति, जो पूर्तिकर्ता पर अधिकारिता रखता हो, को महानिदेशक, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र कि उक्त माल पेट्रोलियम प्रचालनों या कोयला बैड मिथेन प्रचालनों के लिए अधिक समय तक अपेक्षित नहीं है, प्रस्तुत करेगा और माल का हास मूल्य, माल के समाशोधन की तारीख से वर्ष के प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए नीचे यथाविनिर्दिष्ट ऋजु रेखा प्रणाली द्वारा संगणित प्रतिशत विन्दुओं द्वारा कम आयात के समय पर माल के मूल मूल्य के बराबर होगा, अर्थात् :- 70 प्रतिशत की अधिकतम के अधीन रहते हुए (i) प्रथम वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 4 प्रतिशत की दर; (ii) दूसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 3 प्रतिशत की दर; (iii) तीसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 2.5 प्रतिशत की दर; और (iv) चौथे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 2 प्रतिशत की दर ।
--	---

सूची (सारणी का क्र.सं. 1 देखें)

- (1) भूकंपीय उपस्कर और साधित्र, अपेक्षित यान, जिनके अंतर्गत उपस्कर को वहन करने के लिए यान भी हैं ; भूकंपीय सर्वेक्षण जलयान, भूमंडलीय अवस्थिति प्रणाली और भूकंपीय कार्य के लिए अपेक्षित अन्य सामग्री या तट पर और अपतट क्रियाकलापों के लिए भूभौतिक और भूरासायनिक सर्वेक्षण के अन्य प्रकार ।
- (2) सभी प्रकार के वेधन साज-सामान, जैकप साज-सामान, निमज्जनी साज-सामान, अर्द्ध निमज्जनी साज-सामान, वेधन पोत, वेधन नौकाएं, शाट-होल वेधन साज-सामान, गतिशील साज-सामान, वर्क ओवर साज-सामान, जो विभिन्न उपकरणों और वेधन संक्रियाओं के लिए अन्य वेधन उपस्करों से मिलकर बना है और चिपटाकारक यूनिटों, हाइड्रोलिक वर्कओवर यूनिटों, स्व:उत्तोलन वर्कओवर प्लेटफार्मों, सुदूर प्रचालित जलयान (आरओवी) के लिए अपेक्षित अन्य वेधन उपस्कर ।
- (3) हेलिकाप्टर जिनके अंतर्गत समंजक/पुर्जे भी हैं ।
- (4) पेट्रोलियम संक्रियाओं की सहायता करने के लिए सभी प्रकार के समुद्री जलयान, जिनके अंतर्गत कार्य नाव, नौकाएं, कार्यदल नौकाएं, कर्ष, लंगर संभालने वाले जलयान, साधारण नौकाएं और प्रदाय नौकाएं भी हैं, समुद्री पोत उपस्कर, जिसके अंतर्गत वाटर मेकर, डीपी प्रणाली और निमज्जन प्रणाली भी है ।
- (5) निमज्जनकारी, जोड़ने वाली, लट्टे बनाने वाली उत्पादन परीक्षण अनुरूपण और पंक सेवाएं, तेल क्षेत्र संबद्ध प्रयोगशाला, उपस्कर जलाशय इंजीनियरी, भूगर्भीय उपस्कर, दिशासूचक वेधन, अनुरूपण, क्वाएल ट्यूबिंग यूनिटों, ड्रिल स्टेम टेस्टिंग (डीएसटी) आंकड़ा अर्जन और प्रसंस्करण तथा ठोक पदार्थ नियंत्रण, मछली पकड़ना, तेल क्षेत्र संक्रियाओं या कोयला संस्तर क्षेत्र मिथेन संबंधी प्रचालनों में अधोछिद्र पुनः प्रापण से यथा संबद्ध, पाइप निरीक्षक, जिसके अंतर्गत अविध्वंशीय परीक्षण, कोरिंग ग्रेवल पैक, तेल /गैस/सीबीएम कुओं, जिनके अंतर्गत वायर लाइन और अधोछिद्र उपस्कर भी हैं, जैसी विशेषीकृत सेवाओं के लिए सभी प्रकार के उपस्कर/यूनिट ।
- (6) सभी प्रकार के वेष्टन पाइप वेधन पाइप, उत्पादन नलिकाकरण, पप ज्वाइंट्स, कनेक्शन, कपलिंग, केली, क्रास ओवर्स और स्वैग, ड्राई पाइप ।
- (7) सभी प्रकार के वेधन बर्मी, जिनके अंतर्गत नोजल, भंजक और संबद्ध औजार ।
- (8) सभी प्रकार के तेल क्षेत्र रसायन या कोयला संस्तर मिथेन रसायन, जिनके अंतर्गत पेट्रोलियम या कोयला संस्तर मिथेन संबंधी प्रचालनों में प्रयुक्त सिंथेटिक उत्पाद भी हैं, तेल क्षेत्र सीमेंट और सीमेंट योजक, जो तेल या गैस के वेधन, उत्पादन और परिवहन के लिए अपेक्षित हैं ।
- (9) तेल, गैस या सीबीएम तथा जल अंतर्वेशन के लिए प्रक्रिया, उत्पादन और कुएं प्लेटफार्म/संस्थापन जिनके अंतर्गत प्लेटफार्म/संस्थापन और प्रक्रिया उपस्कर, टरबाइनों, पंपों, जनित्रों, संपीडकों, प्राइम मूवर्स, वाटर मेकरों, फिल्टरों जैसी अपेक्षित प्लेटफार्मों/संस्थापनों के भागरूप होने वाली मर्दे भी हैं और प्लेटफार्मों/संस्थापनों के लिए अपेक्षित फिल्टर करने के उपस्कर, टेलीमीटरी, दूरसंचार, सुदूर नियंत्रण और अन्य सामग्री ।
- (10) प्रभार लाइनों तथा ट्रंक पाइप लाइन जिनके अंतर्गत भार विलेपन और आवरण भी है, के लिए लाइन पाइपें ।
- (11) डेरिक नौकाएं, मोबाइल और स्थायी क्रेनों, खाई खोदक, पाइप बिछाने वाली नौकाएं, स्थोरा नौकाएं और प्लेटफार्मों के संनिर्माण/संस्थापन और पाइप लाइनों के बिछाने में अपेक्षित वैसी ही वस्तुएं ।

- (12) एकल पल्व, नौबन्ध प्रणाली, नौबन्ध रज्जु, फिटिंगें जैसे जंजीर, शैकल, संयोजन समुद्री हौजों और तेल भंडारण के लिए प्रयोग किए जाने वाले तेल टैंकर तथा संबद्ध उपस्कर, तेल के भंडारण के लिए प्रयुक्त टैंक, संघनित्र, कोयला संस्तर मिथेन, जल, गाद, रसायन और संबद्ध सामग्री ।
- (13) प्रदूषण नियंत्रण, अग्नि रोक, अग्निशमन, अवशेष राफ्ट, जीवित, अग्नि और गैस भेदित उपस्कर, जिसके अंतर्गत एच2एस मानीटरी उपस्कर भी हैं, जैसी सुरक्षा मदों के लिए अपेक्षित पूर्णतः सज्जित जलयानों और अन्य यूनितों/उपस्करों के सभी प्रकार ।
- (14) मोबाइल तथा रोक से मढ़े हुए पाइप बिछाना, पाइप का परीक्षण और पाइप निरीक्षण उपस्कर ।
- (15) सभी प्रकार के वाल्व, जिनके अंतर्गत उच्च दाब के वाल्व भी हैं ।
- (16) पेट्रोलियम या कोयला संस्तर मिथेन संबंधी प्रचालनों के लिए अपेक्षित संसूचना उपस्कर, जिनके अंतर्गत संश्लिष्ट वीएचएफ वायु और वीएचएफ बहुल चैनल सेट/वेएचएफ समुद्री बहुल चैनल सेट भी हैं ।
- (17) गैर दिशात्मक रेडियों अंतरस्थित: सुरक्षित वाकी-टाकी बोधक ईपीआई आरवी, इलेक्ट्रानिक व्यष्टिक सुरक्षा युक्तियां, जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रानिक पहुंच नियंत्रण प्रणाली भी है ।
- (18) विशेषीकृत एंटीना प्रणाली, रेडियो टर्मिनलों पर सिम्पलेक्स टेलेक्स, चैनल सूक्ष्म तरंग प्रणाली, परीक्षण और माप उपस्कर ।
- (19) एक्स-बैंड राडार ट्रांसपोंडर, क्षेत्र निगरानी प्रणाली।
- (20) सामान्य गहराई बिन्दु (सीडीपी) केबल, लागिंग केबल, संयोजित्र, जियो फोन रस्सियां, छिद्रण उपस्कर और विस्फोटक ।
- (21) वालहेड और क्रिसमस वृक्ष जिसके अंतर्गत वाल्व, चोक, हेड स्पूल, हैंगर्स और एकच्यूएटर्स, चिक्सन्स और उच्च दाब हौजों, बंद पैनलों जैसे नम्य संयोजन भी हैं ।
- (22) कैथोडिक संरक्षण प्रणालियां, जिनके अंतर्गत एनोड भी हैं ।
- (23) पेट्रोलियम और कोयला संस्तर मिथेन संबंधी प्रचालनों के लिए अपेक्षित तकनीकी आरेखण, मानचित्र, साहित्य, डाटाटेप, संक्रियात्मक और अनुरक्षण विषयक मैनुअल ।
- (24) इस सूची में विनिर्दिष्ट माल के चलाने, मरम्मत करने या उसके अनुरक्षण के लिए उप-समंजक, औजार, साधित्र, भंडार, पुर्जे, सामग्री, प्रदाय, उपभोग वस्तुएं ।

स्पष्टीकरण—

- (1) इस अधिसूचना में, “टैरिफ मद”, “उपशीर्ष”, “शीर्ष” और “अध्याय” से अभिप्राय है सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय ।
- (2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के खंड और अध्याय टिप्पण तथा साधारण व्याख्यात्मक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे ।

2. यह अधिसूचना जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से लागू होगी ।

संजीव कौशल

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग